

2017/00053

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारट रेंज) फलोदी  
बइजलास - यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 273/2018

वादी

घाई पत्नी खमुराम  
जाति - विश्नोई  
निवासी - सुभाष नगर, भीयासर  
तहसील - फलोदी  
जिला जोधपुर

द्वानाम

प्रतिवादीगण

01. किसनाराम पुत्र रतीराम
02. जोधाराम पुत्र जैराम
03. मांगीलाल पुत्र जैराम
04. रमकू पत्नी जैराम
05. परमा पत्नी श्यामलाल
06. चौथी पत्नी फरसाराण
07. रणुराम पुत्र प्रहलादराण
- 7/1. धनी पत्नी रणुराम
- 7/2. भीयाराम पुत्र रणुराम
- 7/3. हनुमानराम पुत्र रणुराम  
सभी जाति विश्नोई निवासी  
सुभाषनगर, भीयासर तहसील  
फलोदी जिला जोधपुरा
- 7/4. बंशी पुत्री रणुराम पत्नी जोधाराम
- 7/5. रूखमण पुत्री रणुराम पत्नी बगडूराम  
सभी जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर,  
साथरी तहसील जोहावट जिला जोधपुर
08. तहसीलदार फलोदी

दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कंवरलाल मेघवाल अधिवक्ता वादी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 02.11.2020

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलोदी को विभाजन प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलोदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

**आदेश**

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम सुभाष नगर भीयासर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1093 रकबा 87.00 बीघा भूमि का बंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के बंट में 58 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में 16.06 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के बंट में 07.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के दाखिलों के बंट में 05.09 रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्वत अलग से मूर्तिब हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दपतर हों।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक इन्डियन  
मजिस्ट्रेट (फारट रेंज) फलोदी



**डिगरी बमुकदमें इब्दाई**  
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी  
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
धाई पत्नी खमुराम जाति - विश्नोई निवासी - सुभाष नगर, भीयासर तहसील - फलोदी जिला जोधपुर		01. किसनाराम पुत्र रतीराम 02. जोधाराम पुत्र जैराम 03. मांगीलाल पुत्र जैराम 04. रमकू पत्नी जैराम 05. परमा पत्नी श्यामलाल 06. चौथी पत्नी फरसाराम 07. रणुराम पुत्र प्रहलादराम 7/1. धनी पत्नी रणुराम 7/2. भीयाराम पुत्र रणुराम 7/3. हनुमानराम पुत्र रणुराम सभी जाति विश्नोई निवासी सुभाषनगर, भीयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुरा 7/4. बंशी पुत्री रणुराम पत्नी जोधाराम 7/5. रूखमण पुत्री रणुराम पत्नी बगडूराम सभी जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर, साथरी तहसील लोहावट जिला जोधपुर 08. तहसीलदार फलोदी।

**दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

वाद संख्या 273/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री कंवरलाल मेघवाल अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम सुभाष नगर भीयासर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1093 रकबा 27.00 बीघा भूमि का बंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के बंट में 58 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में 16.06 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के बंट में 07.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसों के बंट में 05.09 रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।  
वसूली याबी तक बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।



मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-

दस्तखत

**सहायक कलक्टर एवं कोषपालक दण्डनायक**  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

नोट:- इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।